नि:शक्तजन सेवार्थ
नि:शक्तजन हितार्थ

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना–15
email : scdisability2008@gmail.com
फोन नं0:–0612–2215041

बिहार सरकार

विज्ञप्ति

दिव्यांगजनों के हित के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति/संस्था के लिए आवश्यक सूचना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा–50 अन्तर्गत प्रावधान है कि –"इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं" एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 की धारा–8(1) द्वारा प्रावधानित है कि **"दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं का सक्षम प्राधिकार से निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा"।**

उक्त आलोक में राज्य अन्तर्गत दिव्यांगता प्रक्षेत्र में अथवा दिव्यांगों के हितार्थ कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं के पदाधिकारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त हेतु स्थापित की जाने वाली/कार्यरत प्रत्येक संस्था उपरोक्त वर्णित प्रावधान अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकार से निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। निबंधन हेतु विहित प्रपत्र राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय के बेवसाईट www.scdisabilities.com से प्राप्त कर नियमानुसार सम्बन्धित जिला से जाँचोपरांत कार्यालय के Email id-scdisability2008@gmail.com पर/कार्यालय में भेजा जा सकता है।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।